



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 848) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 138, दिनांक 22 जुलाई 2026— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता की धारा 3 के प्रयोजनार्थ समान अथवा समरूप कार्यों के निर्धारण संबंधित विवाद के निष्पादन हेतु श्रमायुक्त, बिहार/अपर श्रमायुक्त, बिहार/सभी संयुक्त श्रमायुक्त को बिहार राज्य में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-132/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 139, एस० ओ० 138 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-133/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 138, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Labour Commissioner, Bihar/Additional Labour Commissioner, Bihar/All Joint Labour Commissioner as the Authority for the purposes of Section 3 of the Code to decide disputes relating to the determination of the same or similar nature of work, in respect of establishments situated in the State of Bihar for which the State Government is the appropriate Government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code on Wages-10-01/2025-132/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

Upendra Prasad,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 848-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>